Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- बाड़मेर में आरोपिता सपना कुमारी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जूनाखेड़ा, पं.सं. धोरीमन्ना, जिला बालोतरा रिश्वत राशि 4500/– रूपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 05 अगस्त, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय राज. जयपुर के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी बाड़मेर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपिता **सपना कुमारी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जूनाखेड़ा, पं.सं. धोरीमन्ना, जिला बालोतरा** को परिवादी की पत्नि के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत आवास आई.डी. सं. PMAY&GRJ132866259 कार्य स्वीकृति दिनांक 14.05.2025 कार्य पूर्णता दिनांक 14.05.2026 की तीसरी किश्त राशि 60,000/– रूपये पारित करने के क्रम में उक्त आवास के जिओटेकिंग फोटोग्राफ लेकर ऑनलाईन करने की ऐवज में वक्त सत्यापन दिनांक 04.08.2026 को 4500/– रूपये रिश्वती राशि की मांग कर आज वक्त लेन–देन कस्बा धोरीमन्ना में स्थित भादू मार्केट (भादू पशु आहार) में अपने किराये के आवासीय मकान पर परिवादी से उक्त तयशुदा 4500/– रूपये रिश्वती राशि प्राप्त किये जाने पर आरोपिता को मौकास्थल से ही रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिश्वती राशि 4500/– रूपये आरोपिता के आवास से बरामद की गई।

परिवादी के माध्यम से ए.सी.बी. चौकी बाड़मेर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी की पत्नि के नाम से वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत पी.एस. आवास की तीसरी किश्त राशि 60,000/– रूपये पारित कराने हेतु आवास के जिओ टेकिंग फोटोग्राफ लेकर ऑनलाईन करने की ऐवज में परिवादी से 4500/– रूपये रिश्वती राशि की मांग कर आज वक्त लेन–देन आरोपिता द्वारा परिवादी से प्राप्त किये गये।

जिस पर एसीबी रेंज जोधपुर की **पुलिस अधीक्षक श्रीमति पी.डी. नित्या आई.पी. एस.** के सुपरवीजन एंव एसीबी बाडमेर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार** के निर्देशन में आज ए.सी.बी इकाई बाड़मेर के **पुलिस निरीक्षक श्री देवाराम चौधरी** मय जाब्ता द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपिता सुश्री सपना कुमारी को परिवादी से रिश्वती राशि 4500/– रूपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं।

आरोपिता ग्राम विकास अधिकारी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी हैं। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।